(घ) सरकारी रेलवे पुलिस, पटना के अधीक्षक को इस मामले की रिपोर्ट की गयी जिन्होंने एक सशस्त्र पुलिस कर्मचारी को मौके पर तैनात कर दिया। स्थानीय सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस की सहायता से रेलवे सुरक्षा दल, सकरीगली घाट के सहायक उपनिरीक्षक द्वारा तत्काल तलाशी लेने के फलस्वरूप 460 रुपये के मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गयी। साहिबगंज को सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/379/411।353 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है।

कमालगंज और फतेहगढ़ स्टेशनों के बीच मालगाड़ी की दुर्घटना

7207. श्री निहाल सिंह :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अग्रवाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के कानपुर-फर्रुखाबाद सेक्शन पर कमालगंज और फतेहगढ़ स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसका समाचार 27-6-67 के 'वीर अर्जुन' में छपा था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे;

(ग) दुर्घटना के परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दुर्घटना 20-6-1967 को हुई।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) इस दुर्घटना में कोई मरा या घायल नहीं हुआ। रेल सम्पत्ति को लगभग 22500 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

(घ) जांच पूरी हो जाने पर उपयुक्त कार्यवाई की जायेगी।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड

7208. श्री राम सिंह अग्रवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 30 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के जाली शेयरों और तथा-कथित सौदों के बारे में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच पूरी करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) (क) से (ग). पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है, तथा यह जांच-पड़ताल अभी तक प्रगति पर है।